19 परिवारो को किया विस्थापित

मालपुरा (निस) नगरपालिका शहरी क्षैत्र मे चलाये जा रहै अतिक्रमण हटाओं अभियान के अन्तर्गत मंगलवार को दुसरे दिन भी शहर मे कार्यवाही जारी रही। कृषि मंडी के सामने फुटपाथ पर लम्बे समय से रह रहै 19 छाबडी वाले परिवारो को फुटपाथ खाली करवा सदरपुरा रोड पर आरक्षित महाराणा प्रताप आवासीय कॉलोनी मे विस्थापित किया गया।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी का स्वर्गवास दिनांक 04.11.2024 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.11.2024 को सायं 4 से 5 बजे तक खण्डेलवाल सेवा सदन, जनता कॉलोनी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल: रामजीलाल जांगिड-से.नि. कार्यालय सहायक, राजस्थान परिवहन निगम, झालाना डूंगरी आगार, जयपुर (पति), नितिन-सीमा (पुत्र-पुत्रवधु), रमेश, सुरेश, बृजेश, राजेन्द्र (भतीजे), सरिता (पुत्री), डिम्पल-नरेन्द्र (पुत्री-दामाद), तनिष्क (दोहिता) एवं समस्त रावत परिवार 9414386586, 9414042873

आम सूचना

मैं कृष्ण मुरारी पारीक पुत्र स्वर्गीय श्री राम गोपाल पारीक उम्र- 71 वर्ष, पता- प्लाट नम्बर- 32 डी, सूर्य नगर प्रथम, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड का निवासी हूँ। यह कि मैं मेरे पुत्र विकास पारीक को मेरी समस्त चल-अचल संपत्ति व सम्पूर्ण जायदाद से पूर्ण रूप से बेदखल कर रहा हु। यह कि भविष्य में मेरी किसी भी चल-अचल संपति पर मेरे पुत्र विकास पारीक का कोई अधिकार नही हैं, ना ही विकास पारीक की पत्नी सविता पारीक व इनके और कोई भी वारिस्तान किसी प्रकार के अधिकारी है। जरिये

अधिवक्ता एडवोकेट भास्कर पारीक

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स देव टैक्नोक्राट्स, डी-08 एवं 09, प्रथम तल, आर टैक कैपिटल मॉल, महल रोड, एपेरल पार्क, जगतपुरा, जयपुर पंजीयन संख्या RF/JPU/2022/3399 के भागीदारों द्वारा दिनांक 18.09.2024 से फर्म से पार्टनर अभिमन्यु कसाना पुत्र श्री एच आर कसाना रिटायर हो रहे हैं सूचित रहे। यदि किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जिला उद्योग केन्द्र जयपुर (शहर) में आपत्ति दर्ज करावे।

कृते मैसर्स देव टैक्नोक्राट्स,
(प्रशान्त सिंह पोसवाल) भागीदार
(अभिमन्यु कसाना) भागीदार
(एच.आर. कसाना) भागीदार

आम सूचना

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मोहम्मद रफीक पुत्र श्री गफूर भाई, पता-मकान नं. 121, महारानी जी की छतरी, पुराना रामगढ रोड, डी.बी.एन. स्कूल के सामने, जयपुर के पुत्र मोहम्मद इरफान मेरे अभिभाष्य के कहने, सुनने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य के साथ खराब आचरण करता है, इस कारण से मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र मोहम्मद इरफान को अपनी समस्त प्रकार की चल एवं अचल सम्पत्ति एवं परिवार से बेदखल कर दिया है। मेरे पुत्र मोहम्मद इरफान से कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी, इसमें मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

दिनांक-04.11.2024

(अनिल कुमार शर्मा) एडवोकेट
मो. 9875199563

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान आवासन मंडल, वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक 4597 **नाहिर आम सूचना** दिनांक 05.11.2024

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 182/69 (MIG-A), (रचिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री राम पाल पुत्र स्व. श्री सुखनन्दन लाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1934 दिनांक 29.03.2005 को जारी किया गया। श्री राम पाल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 01.09.2010 को उप पंजीयक, जयपुर-अष्टम के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री राम पाल द्वारा श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा को दिनांक 09.09.2010 को मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती बीना शर्मा द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 01.10.2010 के द्वारा श्री भागीरथ लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता के नाम विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक जयपुर-अष्टम के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री भागीरथ लाल गुप्ता के आवेदन करने पर कार्यालय आदेश क्रमांक 12104 दिनांक 10.03.2011 के द्वारा मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज किया गया। श्री भागीरथ लाल गुप्ता की मृत्यु दिनांक 22.08.2022 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ लाल गुप्ता द्वारा उक्त आवंटन को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पहकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ लाल गुप्ता का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबंधक वृत्त- प्रथम, राज. आवा. मंडल, जयपुर

MUNICIPAL CORPORATION (GREATER), JAIPUR 15%
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6(i)DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N./J/2024/358,359 Date : 05-11-2024

PUBLIC NOTICE

The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3304244	Row, Road Side Area, Near Ramdas Park, Block-A, Opp. St. Edmunds, Ward No.131, Malviya Nagar, Jaipur
2	IN 3276351	Row, Road Side Area, Near Mahatma Gandhi Govt. School, Govindpura, Sirsi Road, Kalwar Road, Govindpura, Ward No.46, Jaipur
3	IN 3237287	Row, Road Side Area, Near Govt. Primary School, Uddak Papad, Malhotra Nagar, Near VIKI, Ward No.04, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.

In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.

Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation (Greater), Jaipur

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 342/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम (1) कविश मीणा पुत्र स्व. राजेश मीणा (2) यशस्वी मीणा पुत्री स्व. राजेश मीणा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता रविना मीणा पत्नि स्व. राजेश मीणा (3) रविना मीणा पत्नि स्व. राजेश मीणा निवासी 68, मंगला मार्ग, ब्रह्मपुरी, जयपुर हाल ढाणी बालाका की ग्राम, नटाटा तह. जमवारामगढ जिला जयपुर

मृतक राजेश मीणा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 07.11.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम राजेश मीणा पुत्र रामरतन मीणा जाति मीणा निवासी 68, मंगला मार्ग, ब्रह्मपुरी, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 11 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 26 माह 09 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर

आज्ञा से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

प्रथम चरण के दो दिन में 215 मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का उपयोग

अलवर, । रामगढ विधानसभा उप चुनाव के तहत आज प्रथम चरण की होम वोटिंग के दूसरे दिन आज मतदान केंद्र पर पहुंचने में असक्षम कुल 83 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया जिसमें 45 वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक आयुवर्ग) एवं 38 विशेष योग्यजन श्रेणी के मतदाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रामगढ विधानसभा उप चुनाव 2024 में होम वोटिंग के लिए 222 मतदाता चिन्हित किए गए जिनमें से प्रथम चरण के तहत दो दिनों में कुल 215 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। पहले दिन सोमवार को 132 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग घर पर ही किया तथा आज 83 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में किसी कारणवश मतदान से वंचित रहने वाले मतदाताओं को 9 व 10 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा।

मतदाताओं ने किए अनुभव साझा रामगढ विधानसभा उप चुनाव

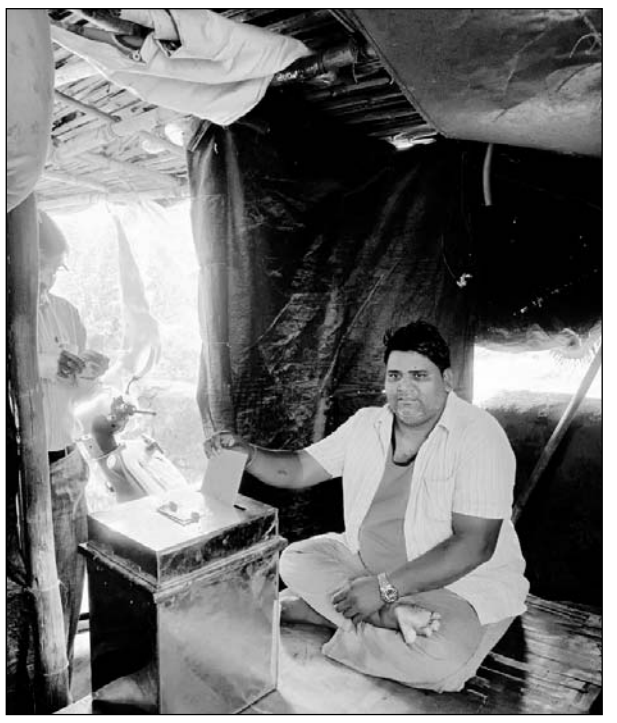

होम वोटिंग के दूसरे दिन आज मतदान केंद्र पर पहुंचने में असक्षम कुल 83 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया

- **होम वोटिंग के दूसरे दिन 83 वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों ने किया मतदान**

के तहत होम वोटिंग के प्रति दूसरे दिन मंगलवार को वरिष्ठजन और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान कर अपने मताधिकार का उपयोग कर होम वोटिंग की प्रक्रिया की सराहना की। मतदाता रमेश चंद एवं देवाराम ने बताया कि वह शारीरिक परेशानी के कारण मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे किंतु होम वोटिंग के माध्यम से उन्होंने आज मतदान कर बहुत खुशी हो रही है। इसी प्रकार विजय सिंह एवं अन्य मतदाताओं ने होम वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होम वोटिंग के माध्यम से घर बैठे ही मतदान करने की अच्छी सुविधा प्रदान की गई है, यह एक सराहनीय कदम है।

उप चुनाव के मतदान के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त

अलवर । जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि रामगढ विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत मतदान दिवस 13 नवम्बर को मतदान के दौरान स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कार्य सम्पादित कराने एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार गढी, नीकच, मुबारिकपुर, डाबरी, नौगांवा (सैक्टर क्रमांक 1 से 5 तक) के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर प्रतीक जुईकर को एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार रसगण, बीजवा, अलावडा, तिलवाड, चिडवाई के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट खैरथल शिवपाल जाट , दोहली, रामगढ, साहडोली, केसरोली, पिपरोली के लिए नगर विकास न्यास सचिव सुधीगदे स्नेहल नाना, सैंथली, बगड राजपूत, बाम्बोली, खूटेटाकलां के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भिवाडी अश्विनी के. पवांर, घाट, रोणपुर, गण्डूरा, बडौदामेव के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय अलवर योगेश कुमार डागुर एवं नसवारी, गोविन्दगढ, फाहरी, न्याणा, भैंसडावत के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ मोहकम सिंह सिनसिनवार को नियुक्त किया

परिवहन मंत्री को लिखा पत्र

मनोहरपुर । कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने शाहपुरा यूनिट को प्रशासकीय एंव वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के संबंध में प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत करवाया कि दिनांक 25 अक्टूबर 2016 की अनुपालना में प्रशासकीय एंव वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थी, परन्तु राजस्थान परिवहन निगम मु. जयपुर के आदेश द्वारा प्रत्याहरित कर कोटपुतली आगार को प्रदान कर दी गई थी। गोरतलब है कि विधायक ने इससे पहले भी विधानसभा के द्वितीय सत्र में तारांकित प्रश्न के मध्यम से सदन में मुद्दा उठाया था। विधायक ने कहा कि वर्तमान में यूनिट के समस्त प्रशासकीय व वित्तीय दायित्व कोटपुतली आगार के अधीन संचालित हैं।

विधायक ने कहा कि निगम के कार्मिको द्वारा भी अवगत करवाया गया है, कि यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों की निजी पत्रावलियां शाहपुरा यूनिट में है, तथा अनुशासनात्मक पत्रावलियां कोटपुतली आगार में है, जिससें कार्मिकों के चयनित वेतनमान, सेवानिवृति से संबधित कार्य व अन्य कार्यों के लिए कर्मचारियों को कोटपुतली जाना पडता है।

अस्पतालों में चिकित्सक की कमी है तो दूसरे अस्पतालों से लगाकर दूर करें : कलेक्टर

खैरथल। खैरथल तिजारा जिला सचिवालय पर मंगलवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में डीएचएस एवं बकाया पेंशन प्रकरण मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित बिजली पानी आदि सार्वजनिक सेवाओं को लेकर समीक्षा बैठक बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर नवाचार स्वस्थ जीवन शैली, तंबाकू फ्री अभियान सीएससी/ पीएससी हेतु भूमि आवंटन, बिजली पानी सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को बीमारियों की रोकथाम सहित आमजन से जुड़ी सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में जिला कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारी को आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत दी जा रही दवाइयां की अस्पताल पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा उन्होंने कहा कि अस्पताल स्तर के अनुसार सभी दवाइयां उपलब्ध हो एवं एक्सपायरी दवाइयां का नियमित

खैरथल तिजारा जिला सचिवालय पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते जिला कलेक्टर किशोर कुमार।

निस्तारण किया जाए। कलेक्टर सभी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए जिन अस्पतालों में चिकित्सक की कमी है उन अस्पतालों में दूसरे अस्पताल से चिकित्सकों के दिन सुनिश्चित कर लगाया जाए।

सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव संख्या कम होने पर ब्लॉक सीएमएचओ को संस्थागत प्रसव संख्या बढ़ाने व अस्पतालों को समयबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में डेंगू सहित अन्य बीमारीयों की संख्या की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चलाये जा रहे नवाचार स्वस्थ जीवन शैली के तहत स्कूल के बच्चों को विद्यालय में कैंप लगाकर नवाचार से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि बच्चे भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके।

- **मौसमी बीमारियों की रोकथाम व आम जन के इलाज के लिए जिला कलेक्टर चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश**

इसके अलावा साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने सम्भावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सूचारू रूप से आपूर्ति एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, सम्पर्क पोर्टल, सीएमओ आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने व आमजन की समस्याओं का तुरंत निराकरण के लिए निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी को आधार एवं एलपीजी आईडी सीडिंग के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था के बारे में जानकारी ली

दौसा। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार एवं जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने मंगलवार को दौसा विधानसभा क्षेत्र के रजवास, खानवास, जैलमपुरा, पीपल्या चैनपुरा, भूडला-भूतपुरिया, देवरी, खानपुरा, गांवली आदि गांवों में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुगम मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बूथ लेवल अधिकारियों से मतदान केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत व्यवस्था, रोशनी, मतदाताओं के लिए पेयजल व्यवस्था, शौचालय एवं दिव्यांग वोटर्स के लिए रैम्प व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।

विधानसभा उप चुनाव में 13 नवम्बर को मतदान कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। उन्होंने वहां मौजूद आमजन से संवाद कर अधिक से अधिक संख्या में

मतदान दलो को अवलोकन करते जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा।

मतदान करने का आ ान किया। जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने कानून व्यवस्था से संबंधित पहलुओ पर चर्चा करते हुए विधानसभा उप चुनाव में स्वतन्त्र, भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी लवाण रविकान्त सिंह, पुलिस उपाधीक्षक चारुल गुप्ता, विकास अधिकारी लवाण, तहसीलदार धीरेन्द्र कर्दम सहित संबंधित अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे।

सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध कराने की योजना का विस्तार किया

पावटा। रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध कराने की योजना का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मिलने वाला लाभ खाद्य सुरक्षा के चयनितों को भी बजट घोषणा2024-25के अनुसार दिया जाएगा। खाद्य विभाग ही ओर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए सीडिंग अभियान शुरू किया गया।

इसमें राशन डीलर को गेहूं वितरण से पहले एलपीजी की 17 अंकों की आईडी की सीडिंग करनी होगी। रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध कराने की योजना का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मिलने वाला लाभ खाद्य सुरक्षा के चयनितों को भी बजट घोषणा2024-25के अनुसार दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सितंबर 2024 से सभी एनएफएसए पात्र परिवारों को दिया जाएगा।

ग्रामीणों ने की मतदान के बहिष्कार की घोषणा, रास्ते की समस्या दूर न होने से नाराज

उनियारा। देवली उनियारा विधानसभा के मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत के अमीरगंज गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को मंदिर के पास पास प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए मतदान के बहिष्कार की घोषणा की।

ग्रामीणों ने इस संबंध में गांव में मतदाताओ को मतदाता पर्चियां वितरित करने आये बीएलओ श्योनारायण गर्जर द्वारा मतदाताओं ने मतदाता की पर्चियां भी नहीं ली गई है।जिससे बीएलओ को मतदाता की पर्चियां बिना वितरण किए वापिस लोटना पड़ा बीएलओ श्योनारायण गुर्जर ने जिसकी सुचना हल्का पटवारी,अजय कुमार बैरवा,सुपरवाइजर ओमप्रकाश चोपदार को दी गई।ग्रामीणों ने बताया है कि मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत के अमीरगंज गांव के लोगों का आने जाने का यही एक मात्र रास्ता है।बरसात के दिनों में या हल्की बारिश होने के बाद

अमीरगंज गांव के ग्रामीणों ने मंदिर के पास पास प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए मतदान के बहिष्कार की घोषणा की।

रास्ते में पानी भर जाता है।मतदान का बहिष्कार करने से संबंधित में ग्रामीणों का कहना है कि अमीरगंज गांव से ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा मुख्यालय ओर कोटड़ी चोराहा आने वाले लोगों को बरसात के महीने में काफी दिक्कत होती है।आने जाने के लिए मात्र यही एक रास्ता है।इसकी शिकायत कई बार सांसद,विधायक और उनियारा एसडीएम से की गई,लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।ग्रामीणों ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है,तब तक वह मतदान करने नहीं जाएंगे।देवली उनियारा विधानसभा के गांव अमीरगंज गांव के रास्ते की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपचुनाव के बहिष्कार का एलान कर दिया है।

आम सूचना

यह कि मेरे अभिभाष्य धन्नालाल चौधरी जरिये संयोजक प्रेमगनर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड रजि० नं. 2625/एल जयपुर, राजस्थान की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम नरोलमपुरा तहसील सांगानेर जयपुर की योजना बालाजी एन्क्लेव में भूखण्ड संख्या 40 व 41 क्षेत्रफल 100-100 वर्गगज को मधु शर्मा पत्नि श्री बजरंग शर्मा पता - मकान नम्बर 87, शिव शक्ति नगर ए खेजड़ो का बास जयपुर को आवंटित किया गया था जिसको मेरे अभिभाष्य ने मधु शर्मा व उसके पति बजरंगलाल शर्मा के द्वारा किये गये आपराधिक कपटपूर्ण षडयंत्र के कारण उक्त दोनो भूखण्डों के आवंटनो को निरस्त कर दिया दोनो भूखण्डों को लेकर की जाने वाली सिविल व फौजदारी कार्यवाही शून्य व निष्प्रभावी होगी, जो भी कोई व्यक्ति, संस्था, उक्त निरस्तशुदा दोनो आवंटन पत्रों से उक्त दोनो भूखण्डों की खरीद फरोक्त, लेन देन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संव्यवहार कर उनका दुरूपयोग करते है जिससे मेरे अभिभाष्य को सदोष हानि कारित होती हो तो उसके विरूद्ध होने वाली सिविल व आपराधिक कार्यवाही के लिये वह स्वंय जिम्मेदार होगा इसमे मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नही होगी सूचित रहे।

रोहित कुमावत एडवोकेट 7014995861

खोया-पाया

मेरे मकान नम्बर 76/31 सैक्टर 7 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का अलाटमेंट लेटर नम्बर 1243 कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें माया शर्मा

मेरा मकान नं. 32/139 मानसरोवर जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र व पजेशन लेटर कहीं गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें- ठा. हरिसिंह- 9829011226

खसरा नं. 546/2, 547/1 की मेरी असली रजिस्ट्री ग्राम झरना, तहसील, फागी, जिला जयपुर, राजस्थान की पदमसिंह और निखलेश सिंह राठौड के नाम से थी जो कहीं खो गई। जिसकी एफ.आई.आर. नं. 2444270/2024 दिनांक-25.10.2024 को दर्ज करा दी है। किसी को मिले तो सूचित करें- 6375514922

नाम परिवर्तन

मैं सूबेदार मेजर ओनरेरी लेफ्टिनेंट भंवर सिंह राठौड़ पुत्र मूल सिंह पता चितावातहसील नावांजिला नागौर राजस्थान है। मेरे आर्मी रिकॉर्ड में मेरी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सुप्यार कौर दर्ज है जो कि गलत है सही नाम सुप्यार कंवर है।

मैंने अपना नाम रीना बंसल से बदलकर रीना गुप्ता रख लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम रीना गुप्ता पत्नी श्री विशाल गुप्ता के नाम से जाना जाए। निवासी-55-ए, आनन्द नगर, सिरसी रोड, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान

मैंने अपना नाम गौरी शंकर से बदलकर गौरी शंकर झाझड़िया पुत्र श्री रतन सिंह झाझड़िया कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-4/254, एस.एफ.एस., मानसरोवर, जयपुर

मैं, जेसी-700942एच सुबेदार शिव कुमार ने जिला अदालत, जयपुर के समक्षा दिनांक 04.11.2024 के शपथपत्र के माध्यम से अपनी पत्नी का नाम ममता कुमारी (Mamta Kumari) से बदलकर ममता कुमारी Mamata Kumari) निवासी मिलिट्री हॉस्पिटल जयपुर कर लिया है।

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-4/2024/डी-2031 दिनांक: 25.10.2024

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती कविता पत्नी श्री सुआराम के द्वारा हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सरस्वती नगर-एफ के भूखण्ड संख्या एफ-14 का फ्री होल्ड पटटा जारी करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परन्तु सोसाईटी के द्वारा जारी आवंटन पत्र दिनांक 19.05.1994 को श्री रोहिताश्व यादव पुत्र श्री हनुमान प्रसाद यादव के नाम से जारी किया गया है। श्री रोहिताश्व यादव पुत्र श्री हनुमान प्रसाद यादव ने अपंजीकृत इकारनामा के द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड का बेचान श्री चन्दूलाल बसवाल पुत्र श्री चुन्नी लाल बसवाल को दिनांक 15.12.2000 को बेचान कर दिया गया है। परन्तु श्री चन्दूलाल बसवाल पुत्र श्री चुन्नी लाल बसवाल ने अपंजीकृत इकारनामा के द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड का बेचान श्रीमती कविता पत्नी श्री सुआराम के पक्ष में दिनांक 20.03. 2002 को कर दिया गया है। उक्त संबंध में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदिका के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-4

कार्यालय उपायुक्त (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(मुरलीपुरा सब्जी मण्डी के पीछे, सामुदायिक केन्द्र मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर)
क्रमांक-मु.जो./नगिज/2024/3313 दिनांक-21.10.2024

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 88-ए, आनंद विहार-ए, (शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री गजानंद सैनी पुत्र श्री सूरजमल सैनी को क्षेत्रफल 77.77 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में आवेदक श्री चन्द्रकांत गुप्ता पुत्र श्री हरी नारायण अग्रवाल द्वारा शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटो प्रति, रजि. मुख्त्यारनामा आम, रजि. विक्रय पत्र, अपंजीकृत वसीयत पत्र एवं अन्य चैन दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड श्री चंद्रकांत गुप्ता पुत्र श्री हरी नारायण अग्रवाल के पक्ष में कुल क्षेत्रफल 77.77 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त- मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, गलता, जयपुर
कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283, फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी - rssjaipur@gmail.com

No. :- F.8/AEN/Plantation Work/2024/1826 Dated : 30/10/2024

निविदा सूचना संख्या-76/2024-25

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में पौधों, हेज एवं लॉन इत्यादि के रखरखाव कार्य हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों/विभागों में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in & www.rssc.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. : RSC2425WSOB00033

राज.संवाद/सी/24/7359 सचित

उत्तर पश्चिम रेलवे — आवश्यक सूचना

सर्व सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे अंडरपास स. 67A KM 105 / 19-20 मध्य सांगानेर - शिवदासपुरा पर स्थित अंडरपास के CC Road कि आवश्यक मरम्मत हेतु दिनांक 06.11.2024 सुबह 08:00 बजे से दिनांक 26.11.2024 को रात्री 12:00 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

इस अवधि में नजदीकी रेलवे समपार सं.67 (LC- No. 67) बिलवा फाटक का उपयोग रोड यूजर द्वारा किया जा सकता है। असुविधा के लिए खेद है।

व. मण्डल इंजिनियर (मुख्य) /जयपुर

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें 1274-AR/24

प्ररूप-10 नियम 6(7) देखिए

**प्राधिकृत अधि